20.5.21	पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब प्रशासनिक कार्यों में ... दिनांक 29.6.21 को पेश हो।
29/6/21	वकील प्रार्थीगण उप०। विप्रार्थीगण एकतरफा। प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गई, नेपमंदी(?) हेतु फैसला अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक 05/07/2021

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 374

मुकदमा नंबर 124/2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1.लीलादेवी धर्मपत्नी गोपाराम कौम नाई 2.धुडीदेवी धर्मपत्नी मोहनलाल कौम नाई निवासीयान जानियाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।		1.सरोजकंवर धर्मपत्नी भानुप्रतापसिंह कौम राजपुत 2.जोगाराम पुत्र नेनाराम कौम रबारी 3.कुम्पाराम पुत्र नेनाराम कौम रबारी 4.भोपाराम पुत्र वगताराम कौम रबारी 5.रूपाराम पुत्र पेमाराम कौम रबारी सभी निवासीयान जानिसाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

आदेश

दिनाक

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा जानियाना पटवार हल्का जानियाना, भू–अभिलेख निरीक्षक कनाना में खसरा नंबर 399/240 रकबा 10.10 बीघा खसरा नंबर 402/240 रकबा 06.10 बीघा सहरद विवादित खसरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 375

दिनांक 05/07/2021

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना ....को पालना हेतु
3. पटवारी जानियाना पटवार क्षैत्र जानियाना, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थीगण लीलादेवी धर्मपत्नी गोपाराम कौम नाई तहसील पचपदरा
5. विप्रार्थीगण सरोजकंवर धर्मपत्नी भानुप्रतापसिंह कौम राजपुत तहसील पचपदरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner